उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या :494 /XVII(4)/2017-02/2009-TC
देहरादूनः दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर **"नन्दा गौरा योजना"** के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–1082/XVII(4)/2017-02/2009-TC दिनांक 15.06.2017 निर्गत किया गया था।

2– उक्त शासनादेश संख्या–1082/XVII(4)/2017-02/2009-TC दिनांक 15.06.2017 के प्रस्तर–2 में सामाजिक आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना, 2011 (SECC) के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुए योजना का लाभ उन परिवारो की प्रथम 02 बालिकाओं/लाभार्थियों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रो में ₹ 36000/–तथा शहरी क्षेत्रों में ₹ 42000/– से कम हो तथा प्रस्तर–3 में जिला स्तरीय समिति में जनपद स्तर के मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी समिति में सदस्य के रूप में शामिल पढ़ा जाय तथा प्रस्तर–5 के बिन्दु "ख" सामाजिक आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना, 2011 (SECC) की सूची के बदले परिवार रजिस्टर, प्रमाण पत्र पढ़ा जाय।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 15.06.2017 में निहित शर्तो के अतिरिक्त ऐसे सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारी (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के पैंशन भोगी सहित) तथा आयकर दाता के लाभार्थी योजना हेतु मान्य नही होंगे। इस योजना के अन्तर्गत आने वाली बालिकाओं जिन्होने 8वीं से स्नातक की कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पूर्व प्राविधानो के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के साथ बालिकाओं के आवेदन पत्र विभाग को अग्रसारित किये जायेगे। उक्त योजना के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित/कार्यशील सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी बैंकों द्वारा "जीरो बैलेंस" के तहत समस्त लाभार्थियों के खाते खोले जायेंगे।

4– उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अन्य शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

5– यह संशोधन आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या–1019/XXVII(1)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1444 (1)/XVII/2017-02/2009-TC तद्दिनांकित

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, बैंकिग सेवायें, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
15. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विम्मी सचदेवा)
अपर सचिव